

### **Brand Registration Procedure for Country Liquor**

Brand registration is for the registered distilleries of the uttarakhand state which is issued by The Excise commissioner's recommendations. For the financial year 2020-2021 Brand registration fee is Rupees 4,00,000 (Four lac Rupees). Some important points are as follows.

- 1.) Volume of Liquor should be written on the Label.
- 2.) Streingth should be written on the Label.
- 3.) Sufficient space should be there for Batch Number & for MRP.
- 4.) 'Consumption of liquor is injurious to Health' sentence in english & 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।' in hindi should be written on the label.
- 5.) District Name & the coloured strip according to the district should be there in the label.
- 6.) full Name & Complete Address of manufacturer should be written on the Label.
- 7.) Capacitance wise Barcode should be printed there in the label.
- 8.) Consumer care ID, consumer care No & fssai lic no. Should be written on the label.
- 9.) Ingredients should be written on the Label.

### **ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (देशी मदिरा)**

ब्रांड रजिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आसवनियों के लिए है जिसके लिए वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ हेतु फीस ४,००,००० (चार लाख रुपये) निर्धारित की गयी है। जो की आयुक्त महोदय की अनुमति से किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं।

- 1.) लेबिल पर प्रत्याभूत मात्रा का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 2.) लेबिल पर तीव्रता का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 3.) लेबिल पर बैच नंबर व मूल्य मुद्रित करवाने हेतु व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- 4.) लेबिल पर वैधानिक चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" अंकित होना अनिवार्य है।
- 5.) लेबिल पर जनपद का नाम, जनपद हेतु चुने गए रंग की पट्टी होना अनिवार्य है।
- 6.) लेबिल पर निर्माता कंपनी का नाम व पता मुद्रित होना अनिवार्य है।
- 7.) लेबिल पर धारितावार बारकोड होना अनिवार्य है।
- 8.) लेबिल पर consumer care ID, Consumer Care No तथा Fssai Lic. No. अंकित होना अनिवार्य है।
- 9.) लेबिल पर ingredients अंकित होना अनिवार्य है।